भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1665

उत्तर देने की तारीख : 02 मार्च, 2020

सेवा भोज योजना के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों की पहचान

1665. श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा भोज योजना के अन्तर्गत कितने धार्मिक स्थलों की पहचान की गई है;
(ख) इससे देश की संस्कृति को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होने की संभावना है;
(ग) उक्त योजना की संभावित उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह देश की संस्कृति के लिए लाभदायक है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : सेवा भोज योजना के अंतर्गत अब तक 09 (नौ) धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को पात्र पाया गया है।

(ख) : सेवा भोज योजना के अंतर्गत, लाभार्थी संगठनों को भोजन के नि:शुल्क और लोकोपकारी वितरण में शामिल किया जाता है जिसके द्वारा धर्म, जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा के भेदभाव के बिना सेवा के महत्व पर बल दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति में प्रगाढ़ रूप में सन्निहित है। इस प्रकार, सेवा भोज योजना की स्कीम भारतीय संस्कृति के लोकाचार को संवर्धित और परिरक्षित करती है।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के केन्द्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के रूप में 2.14 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत पात्र पाए गए संगठनों की संख्या के आधार पर, वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

(घ) : जी, हां।

(ङ) : उपरोक्त (ख) के अनुसार।